



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072021-228657
CG-DL-E-31072021-228657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2831]
No. 2831]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SRAVANA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

का.आ. 3053(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1772(अ) दिनांक 06-05-2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में NH72 के कि.मी. 64.63 से कि.मी. 65.03 (सब-डिविजनल ऑफिसर (सिविल) नाहन जिला- सिरमौर, 173001) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "20-05-2021" को "अमर उजाला (हिन्दी)" और "द ट्रिब्यून (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

या

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में NH72 के कि.मी. 64.63 से कि.मी. 65.03 (सब डिविजनल ऑफिसर (सिविल) नाहन जिला- सिरमौर, 173001) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: सिरमौर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नहं				
	गांव का नाम: खजुरना(119)				
1	82	निजी	गैर मुमकिन	0.0169	श्रीमति विनोद कुमारी पत्नी जरनैल सिंह पुत्र वचित्र सिंह निवासी नाहन. (82/1)
2	83	निजी	गैर मुमकिन	0.0126	कुल भाग (6) लव, कुश पुत्र व श्रीमति हेमलता विधवा नरवीर सिंह पुत्र प्रदुमन सिंह भाग बराबर (1) भाग आकाश, सागर पुत्र व श्रीमति प्रोमिला ठाकुर विधवा रूप दमन सिंह भाग बराबर (1) भाग वीर दमन सिंह पुत्र प्रदुमन सिंह पुत्र लाल सिंह भाग बराबर (1) भाग अजय पुत्र भुपेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह (1) भाग प्रमोद कुमार, प्रविन्दर सिंह, सुशान्त पुत्र व श्रीमति पुनम पुत्री व श्रीमति आशा कुमारी विधवा सुरेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह भाग बराबर (1) भाग जितेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह पुत्र दलगजन सिंह (1) भाग स्थानिय वासी.

					(83/1)
3	83/1	निजी	गैर मुमकिन	0.0042	कुल भाग (6) लव, कुश पुत्र व श्रीमति हेमलता विधवा नरवीर सिंह पुत्र प्रदुमन सिंह भाग बराबर (1) भाग आकाश, सागर पुत्र व श्रीमति प्रोमिला ठाकुर विधवा रूप दमन सिंह भाग बराबर (1) भाग वीर दमन सिंह पुत्र प्रदुमन सिंह पुत्र लाल सिंह भाग बराबर (1) भाग अजय पुत्र भुपेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह (1) भाग प्रमोद कुमार, प्रविन्दर सिंह, सुशान्त पुत्र व श्रीमति पुनम पुत्री व श्रीमति आशा कुमारी विधवा सुरेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह भाग बराबर (1) भाग जितेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह पुत्र दलगजन सिंह (1) भाग स्थानिय वासी. (83/1/1)
गांव का नाम: मलोंवाला(117)					
4	108	निजी	गैर मुमकिन	0.0084	कुल भाग (2) रणवीर सिंह पुत्र जगदीश कुमार पुत्र महाराजा रणदीप सिंह (1) भाग स्थानिय वासी श्रीमति वनीता विधवा सिद्धार्थ सिंह पुत्र जगदीश कुमार (1) भाग निवासी नाहन. (108/1)
5	109	निजी	नाकाबिल	0.0084	कुल भाग (2) रणवीर सिंह पुत्र जगदीश कुमार पुत्र महाराजा रणदीप सिंह (1) भाग स्थानिय वासी श्रीमति वनीता विधवा सिद्धार्थ सिंह पुत्र जगदीश कुमार (1) भाग निवासी नाहन. (109/1)
			कुल	0.0505	

[फा. सं. RO/HP/Works(226)/2020-21/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2021

S.O. 3053(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1772(E) dated 6th May 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of bridge, Maintenance, management and operation of NH72 on the stretch of land from Km 64.63 to Km. 65.03 (Sub-Divisional Officer (Civil) Nahan Dist- Sirmour, 173001) in the district of SIRMAUR in the state of HIMACHAL PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in "*Amar Ujala (Hindi)*" and "*The Tribune (English)*" both dated 20-05-2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

Or

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 64/630 to 65/030 on NH72 (Sub-Divisional Officer (Civil) Nahan Dist- Sirmour, 173001) in the district of SIRMAUR in the state of HIMACHAL PRADESH.

State: HIMACHAL PRADESH			District: SIRMAUR		
Sl.No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nahan				
	Village: Khajurna (119)				
1	82	Private	Gair Mumkin	0.0169	Smt. Vinod Kumari wife of Gernail Singh s/o Vachiter Singh R/o Nahan. 82/1
2	83	Private	Gair Mumkin	0.0126	Total shares (6) Love, Kush sons and Smt. Hemlata widow Narvir Singh s/o Praduman Singh (1) share, Aakash, Sagar sons and Smt. Promila Thakur widow Roop Daman Singh s/o Praduman Singh (1) share, Veer Daman Singh s/o Praduman Singh s/o Lal Singh (1) share, Ajay s/o Bhupender Singh s/o Rajender Singh (1) share,

					Pramod Kumar, Pravinder Singh, Sushant sons and Punam daughter and Smt Asha widow of Surender Singh s/o Rajender Singh (1) share Jitender Singh s/o Rajender Singh s/o Dalgajan Singh (1) share (As per Jamabandi). 83/1
3	83/1	Private	Gair Mumkin	0.0042	Total shares (6) Love, Kush sons and Smt. Hemlata widow Narvir Singh s/o Praduman Singh (1) share, Aakash, Sagar sons and Smt. Promila Thakur widow Roop Daman Singh s/o Praduman Singh (1) share, Veer Daman Singh s/o Praduman Singh s/o Lal Singh (1) share, Ajay s/o Bhupender Singh s/o Rajender Singh (1) share, Pramod Kumar, Pravinder Singh, Sushant sons and Punam daughter and Smt Asha widow of Surender Singh s/o Rajender Singh (1) share Jitender Singh s/o Rajender Singh s/o Dalgajan Singh (1) share (As per Jamabandi). 83/1/1
Village: Malonwala (117)					
4	108	Private	Gair Mumkin	0.0084	Total share (2) Ranvir Singh s/o Jagdish Kumar s/o Maharaja Randeep Singh (1) share, Smt. Vanita widow Siddharth Singh s/o Jagdish Kumar (1) share (As per Jamabandi). 108/1
5	109	Private	Nakabil	0.0084	Total share (2) Ranvir Singh s/o Jagdish Kumar s/o Maharaja Randeep Singh (1) share, Smt. Vanita widow Siddharth Singh s/o Jagdish Kumar (1) share (As per Jamabandi). 109/1
			TOTAL	0.0505	

[F. No. RO/HP/Works(226)/2020-21/3D]

RAJESH GUPTA, Director